



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270793  
CG-DL-E-10032026-270793

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1169]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1169]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

**का.आ. 1221(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में NH-168G के कि.मी. 29.100 से कि.मी. 62.500 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रान्त अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में NH-168G के कि.मी. 29.100 से कि.मी.62.500 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: महेसाणा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: वडनगर					
गांव का नाम: शेखपुर (खे)					
1	156	निजी	गैर कृषि	0.0459 (हेक्टेयर)	0.0459
2	158	निजी	गैर कृषि	0.0293 (हेक्टेयर)	0.0293
3	160.001	निजी	कृषि	0.0349 (हेक्टेयर)	0.0349
4	160.002	निजी	कृषि	0.0348 (हेक्टेयर)	0.0348
5	162	निजी	गैर कृषि	0.0866 (हेक्टेयर)	0.0866
गांव का नाम: उंधई					
6	534	निजी	कृषि	0.053 (हेक्टेयर)	0.053
7	539	निजी	कृषि	0.0917 (हेक्टेयर)	0.0917
8	540	निजी	कृषि	0.074 (हेक्टेयर)	0.074
9	547	निजी	कृषि	0.053 (हेक्टेयर)	0.053
10	548	निजी	कृषि	0.099 (हेक्टेयर)	0.099
11	549	निजी	कृषि	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
12	577	निजी	कृषि	0.069 (हेक्टेयर)	0.069
13	578	निजी	कृषि	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
14	579	निजी	कृषि	0.104 (हेक्टेयर)	0.104

15	582	निजी	कृषि	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
16	583	निजी	कृषि	0.053 (हेक्टेयर)	0.053
17	584	निजी	कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
18	586	निजी	कृषि	0.132 (हेक्टेयर)	0.132
19	587	निजी	कृषि	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
<b>Total</b>					<b>1.1612</b>

[फा. सं. GJ/P/V/14/09/2022/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2026

**S.O. 1221(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-168G in the stretch of land from Km. 29.100 to Km. 62.500 in the district of MAHESANA in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate and Prant Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-168G in the stretch of land from Km. 29.100 to Km. 62.500 in the district of MAHESANA in the state of GUJARAT**

State: GUJARAT			District: MAHESANA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Vadnagar</b>					
<b>Village: Shekhpur (Khe)</b>					
1	156	Private	Non Agriculture	0.0459 (Hectare)	0.0459
2	158	Private	Non Agriculture	0.0293 (Hectare)	0.0293

3	160.001	Private	Agriculture	0.0349 (Hectare )	0.0349
4	160.002	Private	Agriculture	0.0348 (Hectare )	0.0348
5	162	Private	Non Agriculture	0.0866 (Hectare )	0.0866
<b>Village: Undhai</b>					
6	534	Private	Agriculture	0.053 (Hectare )	0.053
7	539	Private	Agriculture	0.0917 (Hectare )	0.0917
8	540	Private	Agriculture	0.074 (Hectare )	0.074
9	547	Private	Agriculture	0.053 (Hectare )	0.053
10	548	Private	Agriculture	0.099 (Hectare )	0.099
11	549	Private	Agriculture	0.042 (Hectare )	0.042
12	577	Private	Agriculture	0.069 (Hectare )	0.069
13	578	Private	Agriculture	0.077 (Hectare )	0.077
14	579	Private	Agriculture	0.104 (Hectare )	0.104
15	582	Private	Agriculture	0.032 (Hectare )	0.032
16	583	Private	Agriculture	0.053 (Hectare )	0.053
17	584	Private	Agriculture	0.014 (Hectare )	0.014
18	586	Private	Agriculture	0.132 (Hectare )	0.132
19	587	Private	Agriculture	0.036 (Hectare )	0.036
<b>Total</b>					<b>1.1612</b>

[F. No. GJ/P/V/14/09/2022/3A]  
SAIKH AMINKHAN, Director